न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 35/2023

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. कचराराम पुत्र कनाराम 2. पुखाराम पुत्र कनाराम 3. कालुराम पुत्र नारूराम 4. गोविन्दराम पुत्र नारूराम 5. छोटाराम पुत्र नारूराम 6. नाथाराम पुत्र रूपाराम (जाति माली, निवासी जालीवाडा खुर्द, तह0 पीपाड शहर, जिला बाडमेर)		1. जबराराम पुत्र रामदीन 2. पुखाराम पुत्र रामदीन 3. परसाराम पुत्र रामदीन (जाति माली, निवासी जालीवाडा खुर्द, तह0 पीपाड शहर, जिला जोधपुर) 4. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पीपाड शहर, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर राजस्व मुकदमा नं0 08/2022 आदेश दिनांक 28.12.22

उपस्थिति –

1. श्री सुमेरसिंह जोधा वकील अपीलांट्स
2. श्री गणपतलाल चौधरी वकील रेस्पो0 सं0 1 से 3
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.07.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील पीपाड शहर के ग्राम जालीवाडा खुर्द स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 165 रकबा 6.2617 हैक्टर भूमि की नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2022 द्वारा खारिज कर दिया किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स ग्राम जालीवाडा खुर्द के खसरा नं0 165 के काबिजकाश्त खातेदार है। उक्त भूमि के चिपते ही रास्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खसरा नं0 164 स्थित है व उसके पास प्रत्यर्थी सं0 1 से 3/अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0 163 रकबा 4.0693 स्थित है। अपीलांट्स एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य खसरा नं0 165 की उत्तरी माठ को लेकर विवाद है। प्रत्यर्थीगण रास्त की भूमि को हडपने पर उतारू है। इसलिए अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि को अवरूद्ध कर दिया गया है, जिससे अपीलांट्स एवं ग्रामवासियों को आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा विवादित रास्ते की खातेदारी भूमि पर कब्जा करके अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता निकाल दिया गया है। इस कारण अपीलांट्स अपनी खातेदारी भूमि से महरूम हो रहे है। यदि अपीलांट्स व प्रत्यर्थीगण के मध्य चल रहे रास्ते की भूमि का प्रार्थीगण–अपीलांटस के खर्चे पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी की जाती है तो भविष्य में पक्षकारान के मध्य विवाद समाप्त हो जायेगें। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से अवैध रूप से अपीलांट्स की भूमि में चल रहे रास्ते को सही मानने एवं प्रत्यर्थीगण द्वारा रासते की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को नही हटाने में भारी विधिक भूल की है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी की भूमि पर आई हुई पुरानी माठ को मौके से हटाना चाहते है। आरएलआर एक्ट की धारा 128, 111 में किसी भी सीमाज्ञान के आदेश केवल भू–माप के नक्शे के अनुसार दिये जा सकते है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स–प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारों/समस्त पडौसियों के संयोजन के अभाव व सीमा विवाद सिद्ध करने में विफल रहने के कारण खारिज कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 से 3 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांट्स व प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के खसरान के मध्य कटाणी रास्ता चलता है, इसलिए मौके पर सीमा विवाद किसी प्रकार का नही है। अपीलांट्स व प्रत्यर्थीगण के खेतों की माठें परस्पर नही मिलती है। प्रत्यर्थीगण का रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार से अतिक्रमण नही है। अतिक्रमण के मामले में अलग से कार्यवाही होती है। अपीलांट्स/प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना किसी ठोस आधार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थीगण को मात्र परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। मौके पर सीमाज्ञान को लेकर कोई विवाद मौजूद नही है। अपीलांट्स/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपने खसरा नं0 165 के चिपते

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खसरा नं0 52, 44, 55, 117, 50 के खातेदारों को पक्षकार संयोजित नही किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स के खेत की माठो पर किसी प्रकार का विवाद नही है। अपीलांट्स ने मात्र प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 को ही पक्षकार बनाया गया, जबकि उसका खेत कटाणी रास्ता छोडकर आगे स्थित है। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रत्यर्थी के खसरा नं0 163 पर अपने खेत का सीमा विवाद बताया है, जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण/अपीलांट्स स्वच्छ हाथों से नही गये। प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त आशय का जवाब प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में बाद दोनों पक्षों की सुनवाई/बहस अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 सं0 4 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि प्रकरण में अपीलांट्स व रेस्पो0सं0 1 से 3 के मध्य मौके पर रास्ता खसरा नं0 164 मौजूद है। ऑनलाईन भूनक्शा दिनांक 5.7.21 एवं मौका फर्द दिनांक 11.7.21 में उल्लेखित नजरी नक्शें में दर्शाये गये रास्ते के खसरा नं0 164 की स्थिति भिन्न है। उक्त नक्शों के अवलोकन से ऑन लाईन भूनक्शा में रास्ते के ख0नं0 164 में प्रत्यर्थी के खसरा नं0 163 का अतिक्रमण स्पष्टतः प्रतीत होता है। इसके अलावा मौका फर्द दिनांक 11.07.2021 के अनुसार अपीलांट्स–प्रार्थीगण के खसरा नं0 165 का सीमांकन रूबरू मौतबिरान करवाया गया, जिसमें प्रार्थीगण की संतुष्टि व्यक्त की हुई है। जिसे नजरअंदाज कर, बिना अप्रार्थी सं0 4–तहसीलदार पीपाड़ शहर की जवाब/रिपोर्ट के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर (जोधपुर) द्वारा मुकदमा नं0 08/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2022 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पो0 सं0 1 से 3 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 18 जुलाई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

18.07.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर